निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

9 पौष 1943 (श0)

(सं0 पटना 1049) पटना, वृहस्पतिवार, 30 दिसम्बर 2021

I àE2@v kj;k s&01&05@2014&16493@I k0ç0
I keku; i ż kl u foHkx

I adYi

27 दिसम्बर 2021

श्री अरविन्द कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 691/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद के विरूद्ध गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने संबंधी आरोप के लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्रांक 11590(अनु0) दिनांक 03.12.2013 द्वारा आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए विभागीय पत्रांक 14526 दिनांक 16.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण की गयी। श्री कुमार के पत्रांक 96/अभि0 दिनांक 10.02.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार का कहना है कि :–

''श्री सूर्यमणि आचार्य, पिता श्री हरेन्द्र प्रसाद पंडित, ग्राम–वृंदावन (साबलपुर) कस्तुरबा आश्रम, सरायढेला, धनबाद के नाम से गलत निर्गत लोहरा जाति के प्रमाण–पत्र के संबंध में कहना है कि कार्यालय द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के पूर्व आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन की जाँच संबंधित पंचायत सेवक एवं संबंधित पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी से करायी जाती थी। अनुशंसित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही कार्यालय के द्वारा जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया थी। निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की फोटो प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री आचार्य के पिता का नाम श्री हरेन्द्र प्रसाद पंडित है, जो अनुसूचित जन जाति के अंतर्गत नहीं होने का सूचक है। ऐसी भी संभावना प्रतीत होती है कि कार्यालय द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र में श्री आचार्य के द्वारा जालसाजी कर उपस्थापित किया गया हो। ऐसी परिस्थिति में इसका सत्यापन पंचायत सेवक एवं पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी द्वारा समर्पित अनुशंसित जाँच प्रतिवेदन से ही किया जा सकता है। साथ ही अगर प्रमाण–पत्र कार्यालय से निंगत किया गया है तो इसका सत्यापन भी जाति प्रमाण–पत्र निर्गत पंजी से हो सकता है, चूँकि यह प्रमाण–पत्र 21 (इक्कीस) वर्ष पूर्व निर्गत है, जो मुझे स्मरण में नहीं है।''

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा श्री सूर्यमणि आचार्य, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बेरमो, बोकारो को लोहरा जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया, जबकि श्री आचार्य कुम्हार जाति के हैं। श्री आचार्य का गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की 39वीं बैच के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद पर चयनित हुए थे। गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर चयनित होने के कारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा

राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा श्री आचार्य को संकल्प ज्ञापांक 6003 दिनांक 04.07.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है।

श्री कुमार के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में आरोपों से इंकार किया गया है। इस संबंध में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार श्री आचार्य को जाति प्रमाण–पत्र निर्गत अवधि में श्री अरविन्द कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद के पद पर दिनांक 22.04.1994 से दिनांक 13.07.1995 तक कार्यरत थे। स्पष्टतया श्री कुमार वर्ष 1994 में प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित थे एवं संबंधित जाति प्रमाण–पत्र संख्या 459 दिनांक 09.05.1994 उनके द्वारा निर्गत है। इस प्रकार गलत तरीके से लोहरा जाति (अनुसूचित जन जाति) का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में श्री कुमार की सहभागिता परिलक्षित होती है।

निर्गत गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर ही श्री सूर्यमणि आचार्य को झारखंड सरकार द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जाना, इस आरोप को सम्पुष्ट करता है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

श्री कुमार के विरूद्ध श्री सूर्यमणि आचार्य, धनबाद के नाम से गलत जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने संबंधी आरोप के लिए अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10446 दिनांक 14.09.2021 द्वारा **'निन्दन' (आरोप वर्ष 1994–95) एवं 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक'** का दंड संसूचित किया गया।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार के पत्रांक 42 दिनांक 28.10.2021 द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षा की गई। श्री कुमार के द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण का ही पुनः उल्लेख किया गया है एवं प्रतिवेदित आरोपों पर अपने बचाव में कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है। श्री कुमार के द्वारा श्री सूर्यमणि आचार्य, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बेरमो, बोकारो को लोहरा जाति का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया, जबकि श्री आचार्य कुम्हार जाति के हैं। श्री आचार्य गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर 39वीं बैच के बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पद पर चयनित हुए थे। श्री आचार्य को गलत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर चयनित होने के कारण से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा संकल्प ज्ञापांक 6003 दिनांक 04.07.2013 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया किया गया, जो श्री कुमार के द्वारा गलत तरीके से लोहरा जाति (अनुसूचित जन जाति) का जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने में सहभागिता परिलक्षित होती है। एक लोक सेवक द्वारा गंभीर लापरवाही बरता जाना उनके कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्री कुमार का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकारा द्वारा श्री कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–19(1) प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10446 दिनांक 14.09.2021 द्वारा **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 1994–95) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः श्री अरविन्द कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 691/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, धनबाद द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10446 दिनांक 14.09.2021 द्वारा **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 1994–95) एवं (ii) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक** का दंड को पूर्ववत् बरकरार रखा जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1049-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in